09.04.024:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फर्द अहकाम पर **NO PREES** का अंकन किया। मूल वाद पत्र **NO PREES** होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र **NO PREES** होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:20:32 IST
Reason: SelfAttested